इंदौर नगर निगम के 18 वार्ड ओबीसी के लिए आरक्षित

9 वार्ड महिलाओं के लिए रिजर्वड, जनपद की सीट भी अनारक्षित

नगर प्रतिनिधि

इंदौर । इंदौर नगर निगम व जिले की चारों जनपद पंचायतों के लिए वार्डों का आरक्षण हो गया है। बुधवार को देवी अहिल्या विवि खंडवा रोड स्थित ऑडिटोरियम में इसकी प्रक्रिया हुई। इसमें पहले जिले की चारों जनपद पंचायतों के लिए आरक्षण हुआ। इसके बाद निगम चुनाव को लेकर वार्ड आरक्षित हुए। 85 वार्डों में से 18 वार्डों को ओबीसी के लिए आरक्षित किया गया है। इन 18 में से 9 वार्ड महिला ओबीसी के लिए आरक्षित की गई है। कलेक्टर मनीष सिंह की अध्यक्षता में यह सारी प्रक्रिया की गई।

अनुसूचित जाति वर्ग के वार्ड की अब स्थिति

वार्ड 18 अनुसूचित जाति महिला
वार्ड 24 अनुसूचित जाति मुक्त
वार्ड 26 अनुसूचित जाति मुक्त
वार्ड 30 30 अनुसूचित जाति महिला
वार्ड 35 अनुसूचित जाति मुक्त
वार्ड 36 अनुसूचित मुक्त
वार्ड 45 अनुसूचित महिला
वार्ड 46 अनुसूचित महिला
वार्ड 47 अनुसूचित जाति मुक्त
वार्ड 54 अनुसूचित जाति मुक्त
वार्ड 59 अनुसूचित जाति महिला
वार्ड 61 अनुसूचित जाति महिला
वार्ड 76 अनुसूचित जाति महिला

ये 18 वार्ड ओबीसी के लिए आरक्षित

ओबीसी वार्ड पहले की स्थिति

वार्ड 19 सामान्य पुरुष वार्ड
वार्ड 29 सामान्य पुरुष वार्ड
वार्ड 65 सामान्य पुरुष वार्ड
वार्ड 6 पिछड़ा महिला वार्ड
वार्ड 43 पिछड़ा महिला वार्ड
वार्ड 13 सामान्य पुरुष वार्ड
वार्ड 17 पिछड़ा पुरुष वार्ड
वार्ड 74 सामान्य महिला वार्ड
वार्ड 72 सामान्य पुरुष वार्ड
वार्ड 78 पिछड़ा पुरुष वार्ड
वार्ड 12 पिछड़ा महिला वार्ड
वार्ड 67 पिछड़ा महिला वार्ड
वार्ड 23 सामान्य महिला वार्ड
वार्ड 32 पिछडा पुरुष वार्ड
वार्ड 40 सामान्य पुरुष वार्ड
वार्ड 9 पिछड़ा पुरुष वार्ड
वार्ड 16 पिछड़ा महिला वार्ड
वार्ड 11 पिछड़ा पुरुष वार्ड

इन चारों जनपद पंचायतों का ऐसा रहेगा आरक्षण

इंदौर जनपद : अनारक्षित मुक्त
महू जनपद : अनुसूचित जाति मुक्त
सांवेर जनपद : अनुसूचित जन जाति (महिला)
देपालपुर जनपद : अनारक्षित (महिला)

51 अनारक्षित वर्ग में से ये 24 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित

अनारक्षित पहले की स्थिति

वार्ड 71 सामान्य महिला
वार्ड 7 पिछड़ा महिला
वार्ड 60 सामान्य महिला
वार्ड 48 सामान्य महिला
वार्ड 15 सामान्य महिला
वार्ड 38 सामान्य महिला
वार्ड 62 सामान्य महिला
वार्ड 52 सामान्य महिला
वार्ड 55 सामान्य महिला
वार्ड 37 सामान्य पुरुष
वार्ड 8 पिछड़ा महिला
वार्ड 84 सामान्य महिला
वार्ड 25 सामान्य महिला
वार्ड 69 सामान्य महिला
वार्ड 3 पिछड़ा महिला
वार्ड 4 सामान्य महिला
वार्ड 39 सामान्य महिला
वार्ड 73 सामान्य महिला
वार्ड 44 सामान्य महिला
वार्ड 28 सामान्य महिला
वार्ड 42 सामान्य महिला
वार्ड 34 पिछड़ा महिला
वार्ड 2 पिछड़ा पुरुष
वार्ड 20 पिछड़ा महिला

नोट एक्सचेंज के नाम पर धोखाधड़ी

500-2000 के नोटों के बदले थमाए पांच लाख रुपए के नकली नोट

इंदौर। संयोगितागंज पुलिस ने नोट एक्सचेंज करने के नाम पर नकली नोट थमाने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी अपने आपको ट्रस्ट का एजेंट बताकर छोटे डिनोमिनेशन के नोटों के बदले 500 और 2000 के नोट दस फीसदी कमीशन पर लेने का झांसा देते थे। दोनों आरोपियों सौरभ गुप्ता और दिलीप उर्फ राज मुले पर जालसाजी का मुकदमा दर्ज कर पुलिस आगे की पूछताछ कर रही है।

थाना प्रभारी तहजीब काजी के अनुसार फरियादी सिविल इंजीनियर रवींद्र प्रकाश श्रीवास्तव ने शिकायत की थी कि उसे ट्रस्ट एजेंट बनकर सरदार नामक व्यक्ति ने दोस्त राजेश धाकड़ के माध्यम से संपर्क किया। रवींद्र को रोजाना अपने मजदूर को 20, 50 और 100 के छोटे नोट देने पड़ते हैं। सरदार ने बताया कि वह 10% अधिक रुपए देकर 500 और 2000 के नोट से छोटे नोट बदल देगा। फरियादी ने बताया कि आरोपियों ने नोट एक्सचेंज करने के नाम पर 5 लाख रुपए के नकली नोट पकड़ा दिए।

खुद को बताया था ट्रस्ट का एजेंट

फरियादी ने बताया कि उसे रोजाना 2 से 5 लाख रुपए मजदूरों को बांटना पड़ता है। कुछ दिन पहले उसके पास आए फोन पर एक व्यक्ति ने खुद को ट्रस्ट का एजेंट बताया था। उसने कहा कि 10-20-50-100 के छोटे-छोटे नोटों मे बहुत पैसा है। यदि तुम्हारे पास 500-2000 रुपए के नोट हों तो बदल लो, मैं तुम्हें 10 प्रतिशत रुपए ज्यादा दूंगा। आरोपी ने मंगलवार रात सुयश अस्पताल के पास पैसे एक्सचेंज करने का कहा। रवींद्र एक बैग मे 500 व 2000 के नोट में कुल 5 लाख रुपए लेकर उस व्यक्ति के बताए स्थान पर पहुंचा। वहां सौरभ गुप्ता व दिलीप उर्फ राज मुले इंतजार कर रहे थे।

बैग खोल कर देखा तो अंदर थे नकली नोट

सौरभ और दिलीप ने कहा कि हमे पैसे एक्सचेंज करने के लिए भेजा है। आरोपी रवींद्र के बैग से अपना बैग एक्सचेंज कर चले गए। गली में जाकर बैग खोल कर देखा तो बैग मे ऊपर-ऊपर बच्चोंके मनोरंजन वाले नकली नोट थे। तथा नीचे कोरे कागजों की गड्?डी रखी थी।

एक नजर

33 बार रेड सिग्नल तोड़ने वाली कार जब्त

इंदौर। यातायात पुलिस ने कल एक ऐसी कार को जब्त किया है जो रेड सिग्नल तोड़ने को शान समझती थी। उसके चालक को पकड़कर 33 बार तोड़े गए रेड सिग्नल का जुमार्ना भरने को कहा गया उसने इंकार किया तो कार जब्त कर ली गई है। यातायात विभाग के पुलिस उपायुक्त महेश चंद्र जैन के अनुसार कल यातायत विभाग की टीम पलासिय से मनोरमागंज तरफ जाने वाले रास्ते पर खड़ी थी। यहां गलत दिशा में आने वाले और रेड लाइट का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर कार्रवाई की जा रही थी। 60 चालान यहां बनाए गए। उनसे 30 हजार का जुमार्ना भी वसूला गया। इसी दौरान कार नंबर एमपी 09 सीएम 4601 के चालक को रोका गया। कार ने अब तक कितनी बार यातायात नियमों का उल्लंघन किया है जब यह जानकारी जुटाई गई तो पता लगा कि 33 बार रेड लाइट का उल्लंघन कार चालक ने किया है। आरोपी कार चालक से जुमार्ने की राशि भरने को कहा गया उसने इनकार किया तो कार जब्त कर ली गई है।

शराबी ने जहर खाकर दी जान

इंदौर। विजय नगर इलाके में एक शराबी ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक का नाम पवन पिता शिवधारी निवासी स्कीम नंबर 78 है। वह शराब पीने का आदी था। बताया जा रहा है कल भी नशे में घर आया और फिर जहर खा लिया। तबीयत बिगड़ी तो परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे जहां उसने दम तोड़ दिया

ऊपर से गिरने पर पेंटर की मौत

इंदौर। छावनी इलाके के एक मंदिर में पुताई का काम कर रहे युवक की ऊंचाई से गिरने से मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार मृतक का नाम दिनु भाई निवासी काली पुलिया मूसाखेड़ी है। उसके साथी फिरोज ने बताया कि वह छावनी में स्थित एक मंदिर में कल पुताई का काम कर रहे थे। दीनू सीढ़ी पर चढ़कर छत की पुताई कर रहा था, तभी वह ऊपर से नीचे आ गिरा। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।

शराब के लिए नशेड़ियों ने मचाया उत्पात

इंदौर। बाणगंगा इलाके में दो नशेड़ियों ने शराब के पैसों के लिए जमकर उत्पात मचाया। उन्होंने एक युवक की आंखों में मिर्ची झोंक कर जबरदस्ती पैसा छीना और दारू पी। बाद में फिर उसके घर पहुंच कर युवक और उसकी पत्नी से विवाद कर धमकियां दी है। मामला बाणगंगा थाना क्षेत्र के मुखर्जी नगर का है। फरियादी ताहिर की शिकायत पर आरोपी अमन और शुभम सिसोदिया के खिलाफ अडी बाजी, घर में घुसकर पीटने, रास्ता रोकने की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। फरियादी ताहिर ने पुलिस को बताया कि आरोपी अमन और शुभम उसके पड़ोस में ही रहते हैं। आरोपियों ने फरियादी को कल जबरदस्ती गाड़ी पर बैठाया और अपने साथ 51 नंबर में शराब दुकान पर ले गए। उससे पैसे छीनकर शराब पी। बाद में आंखों में मिर्ची झोंक दी। ताहिर जैसे तैसे घर आया तब आरोपी भी उसके घर पहुंच गए। यहां ताहिर और उसकी पत्नी को गालियां दी। शराब के लिए फिर पैसे मांगे पैसे न मिलने पर मारपीट भी की है।

शराब दुकान में डालने वाले थे डकैती

इंदौर। भंवरकुआं पुलिस ने नाबालिग बदमाशों की टोली को पकड़ा है। बदमाश एक शराब दुकान में डाका डालने की तैयारी कर रहे थे। उनके कब्जे से गाड़ियां, छुरा , मिर्च पाउडर भी जब्त हुआ है। वाहन चोरी और अन्य मामलों में उनसे पूछताछ जारी है। भंवर कुआं थाने में पदस्थ उप निरीक्षक सत्यराम आरोलिया के अनुसार बीती रात मुखबिर से सूचना मिली थी कि प्रतीक्षा ढाबे के पीछे खाली मैदान पर कुछ संदिग्ध लड़के बैठे हैं जो किसी बड़ी वारदात की तैयारी में है। तुरंत पुलिस टीम ने वहां घेराबंदी कर छापा मारा। यहां धार जिले के अलग-अलग गांव के रहने वाले आधा दर्जन बदमाश मिले। सभी की उम्र 14 से 17 साल के बीच है। छुरा, मिर्च पाउडर, प्लायर, लोहे की टामी, और गाड़ियां मिली है।

56 दुकान से चोरी करने वाली गैंग धराई

गैंग के कब्जे से 4 लाख रुपए कीमत की दो-पहिया वाहन बरामद

इंदौर । थाना तुकोगंज ने एक विशेष कार्य योजना के तहत कार्य एक शातिर वाहन चोरों की गैंग को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। आज 56 दुकान के पास उक्त संदिग्ध व्यक्ति को पुलिस द्वारा की जा रही संदिग्धो की चैकिंग के दौरान देखा तो शंका हुई कि यह उसी हुलिये से मिलता जुलता व्यक्ति है, जो कि 56 दुकान की वाहन चोरी के फुटेज मे आया है एवं कद काठी भी वैसे ही है । उक्त संदिग्ध व्यक्ति को पकडकर उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम दीपक पिता सुधाकर भावे उम्र 35 वर्ष पता रामकमल रेसीडेन्सी, गोमटगिरि इन्दौर का होना बताया। तथा उसके साथी का नाम पता पूछते अपना नाम यासिन उर्फ लालू पिता रहीम खान उम्र 26 वर्ष पता ग्राम कालापाठा पुर्नवास कालोनी जिला खंडवा बताया ।

उपरोक्त दोनो आरोपियो से गहनता से पूछताछ करने पर बताया कि हमारे 3 अन्य साथी भी 56 दुकान पर चाय सुट्टा बार की तरफ गये है, जिनके पास भी चोरी की दो मोटर सायकल है ।उक्त आरोपियो ने अपना नाम वसीम पिता वहीद खान , समीर खान पिता करीम खान एवं शेख एहमद पिता बाबू खां निवासी जिला खंडवा का होना बताया ।

आरोपियों के नाम –

1-दीपक पिता सुधाकर ,यासिन उर्फ लालू ,वसीम पिता वहीद खान ,समीर पिता करीम खान ,शेख एहमद पिता शेख बाबू । पुलिस द्वारा पांचों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका पी आर लेकर अन्य चोरी की गई गाड़ियों के संबंध में व वारदातों के संबंध में पूछताछ की जाएगी।

बेटे की दवाई लेकर जा रहे पिता को डंपर ने रौंदा

इंदौर। खुडैल इलाके में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई। वह अपने बीमार बेटे के लिए इंदौर से दवाई लेकर अपने घर जा रहा था। खुडैल पुलिस के अनुसार मृतक का नाम बहादुर पिता भागीरथ निवासी सालम खेड़ी है । बहादुर पेशे से किसान है। उनका दूध का भी कारोबार है । भतीजे चंदर सिंह के अनुसार बहादुर 2 दिन पहले इंदौर में दवाई लेने आए थे। दरअसल उनका बेटा बीमार है, उन्हें भी दवाई की जरूरत पड़ती है। दवाई लेकर वह मोटरसाइकिल से घर जा रहे थे। खुडेल इलाके में एक तेज रफ्तार डंपर ने उन्हें टक्कर मार दी । गंभीर रूप से घायल बहादुर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया था जहां बीती रात उन्होंने दम तोड़ दिया।

हनीमून पर बोला - मैं पति धर्म नहीं निभा सकता

युवती की शिकायत पर पुलिस ने किया दहेज प्रताड़ना का केस

इंदौर। एक नव-विवाहिता ने पति और ससुरालवालों पर दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया है। पीड़िता का आरोप है कि पति को गंभीर बीमारियां है, बीमारियां छुपा कर शादी की गई। उन्होंने मुझसे रिलेशन नहीं बनाए। मैंने आपत्ति ली तो कहा कि वह पति धर्म नहीं निभा सकते। शादी के ठीक पहले जबरदस्ती मेरे परिजनों से 5 लाख वसूले गए।

थाना प्रभारी ज्योति शर्मा ने बताया कि नेहरू नगर क्षेत्र में रहने वाली नव-विवाहिता ने मुंबई निवासी पति भूपेंद्र बावसकर, सास शिल्पा, ननद मेघना और नंदोई निखिल के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज करवाया है। पीड़िता ने बताया कि इसी साल फरवरी माह में उसकी शादी हुई थी। दहेज लोभी ससुराल वालों ने शादी के एक दिन पहले 5 लाख रुपए और 5 तोला गोल्ड की मांग कर दी। परिवार वालों ने शादी के लिए व्यवस्था कर उन्हें पैसा और सोना दिया। जिसके बाद शादी हुई।

एक हफ्ते ही ससुराल में रही पीड़िता ने बताया कि शादी के बाद वह मुंबई अपने ससुराल पहुंची। करीब एक सप्ताह तक वहां रही। पति भूपेंद्र ने मुझसे रिलेशन नहीं बनाए। मैंने इस पर आपत्ति ली तो पति ने बताया कि उसे कई बीमारियां है। मैंने विरोध किया। मैं वापस अपने ससुराल मुंबई पहुंची। यहां ससुराल वाले बाद में 10 लाख रुपए की मांग कर विवाद करने लगे। मैं इंदौर आई और यहां मैंने परिजनों को सारी बात बता कर प्रकरण दर्ज करवाया है।

कुख्यात बदमाश कल्लू उर्फ वाहिद पर रासुका

इन्दौर। पुलिस थाना खजराना द्वारा क्षेत्र के कुख्यात बदमाश कल्लू उर्फ वाहिद पिता छोटे खान उम्र 40 साल निवासी तंजीम नगर खजराना इंदौर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है।

बदमाश कल्लू उर्फ वाहिद पिता छोटे खान उम्र 40 साल निवासी तंजीम नगर खजराना इंदौर थाना खजराना का सूचीबद्ध बदमाश है, जो क्षेत्र में लगातार अपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। बदमाश के विरूद्ध झगड़ा, मारपीट, अवैध वसूली, चाकूबाजी, अवैध हथियार रखने, लूट, डकैती आदि विभिन्न प्रकरण विभिन्न धाराओं में पंजीबद्ध होकर न्यायालय में विचाराधीन है।

फैक्ट्री में घुसे चोर रंगे हाथ पकड़ाए

इंदौर। बाणगंगा इलाके की एक फैक्ट्री में चोरों की टोली घुस गई। फैक्ट्री मालिक और उसके साथी उसी समय वहां पहुंच गए। बदमाशों को मौके पर ही पकड़ा गया। उनकी जमकर धुनाई की गई और पुलिस को सौंपा गया है। बाणगंगा थाने में फरियादी शरद पिता रघुनाथ यादव निवासी लेक पैलेस कॉलोनी की शिकायत पर आरोपी भूपेंद्र चौधरी, राहुल अहिरवार, रिंकू सिंगार और सावन डाबर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। फरियादी ने बताया कि उनकी सांवेर रोड ई सेक्टर में ऋषि केमिकल फार्मास्युटिकल्स मशीनरी नाम से कंपनी है। फरियादि शरद कल कंपनी पहुंचे तो वहां का ताला टूटा हुआ पड़ा था। उन्होंने तुरंत अपने भाई मनीष यादव और ठेकेदार सोनू ओझा और पुलिस को खबर कर फैक्ट्री पर बुलाया सभी ने अंदर जाकर देखा तो चार बदमाश फैक्ट्री का सामान ले जाने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस और फरियादी को देख चोर भागने लगे उन्हें घेराबंदी कर पकड़ा गया । पकड़े गए बदमाशों के नाम भूपेंद्र चौधरी राहुल अहिरवार रिंकू सिंगार और सावन डाबर है।

जाहिर सूचना

हर आम एवं खास को मैं सूचित करने वाली आशालता पति स्व. विजयसिंह परिहार निवासी गुलझरा, धामनोद, जिला धार मप्र सूचित करती हूं कि मैंने अपने पुत्र राजसिंह से हर प्रकार से संबंध विच्छेद कर लिये हैं, सो ताकिद जाने।

भवदीय
आशा लता स्व. विजयसिंह

नाम परिवर्तन

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मैंने अपना नाम कादिर बुरहानी परिवर्तित कर अब्दुल कादिर पिता शब्बीर हुसैन रख लिया है। अतः अब भविष्य में मुझे मेरे नए नाम अब्दुल कादिर पिता शब्बीर हुसैन से जाना व पहचाना जावे।

अब्दुल कादिर पिता शब्बीर हुसैन
पता: 29-बी, हसनजी नगर, ए.बी. रोड, राऊ, इन्दौर 453331

नाम परिवर्तन सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि पहले मेरा नाम प्रवीण नेतावत था जो कि परिवर्तित होकर प्रवीण कुमार नेतावत हो गया है । अतः भविष्य में मुझे मेरे नए नाम प्रवीण कुमार नेतावत से जाना व पहचाना जावे।

प्रवीण कुमार नेतावत
पता: 14, शर्मा एन्क्लेव, गिरधर नगर के पास, इन्दौर

जाहिर - सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे पक्षकार ने - 1.1 श्रीमती अलका एरन पति श्री नरेंद्रसिंह एरन तथा 1.2 श्री अंशुल एरन पिता श्री नरेंद्रसिंह एरन से उनके एकमात्र स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम पिगडम्बर, पटवारी हल्का नम्बर 1, तहसील महू नई तहसील राऊ जिला इन्दौर म.प्र में स्थित खसरा नं. 11/1/1/2 रकबा 0.161 हेक्टेयर तथा 2.1 श्री अन्शुल एरन पिता श्री नरेंद्रसिंह एरन से उनके स्वामित्व एव आधिपत्य के खसरा नं. 13/1/6 रकबा 0.063 हेक्टेयर की, 3.1 डॉ. महेन्द्रसिंह एरन पिता श्री रणजीतसिंह एरन तथा 3.2 डॉ. अन्जू एरन पति डॉ. महेंद्रसिंह एरन से उनके स्वामित्व एवं आधिपत्य के खसरा नं. 11/1/1/3 रकबा0.161 हेक्टेयर तथा 4. डॉ. महेन्द्र सिंह एरन पिता श्री रणजीतसिंह एरन से उनके स्वामित्व एव आधिपत्य के खसरा नं.13/1/4 रकबा 0.063 हेक्टेयर की कृषि भूमि क्रय करने के अनुबंध किए होकर उन्हें आंशिक प्रतिफल राशि भी अदा की जा चुकी है। उपरोक्त कृषि भूमियों पर किसी व्यक्ति, संस्था या वित्तीय निकाय, सहकारी समिति, शासकीय विभाग या अन्य किसी का ऋण, चार्ज , गिरवी, दान, बक्षिस या किसी प्रकार का हित, अधिकार,स्वत्व, आपत्ति या दावा हो तो इस सूचना प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस की अवधि में मय लिखित प्रमाण के सूचित करें, अन्यथा अवधि उपरांत हमारे पक्षकार उक्त भूमियों के विक्रय-विलेखों का विधिवत निष्पादन एवं पंजीयन अपने पक्ष में करवा लेवेंगे एवं तत्पश्चात किसी भी प्रकार की आपत्ति अथवा उजर हमारे पक्षकार को मान्य नहीं होगा, सो विदित होवे ।

वन्दित मालवीय, एडवोकेट
308,फॉर्च्यून एम्बिएन्स, तृतीय मंजिल, 4/2 साऊथ तुकोगंज, इन्दौर
मो. 91-9977777630, 0731-4949777

डी. पी. आभूषण लिमिटेड

DP

CIN: L74999MP2017PLC043234

Regd. Office: 138, चांदनी चौक, रतलाम (म.प्र.)-457001, भारत

दूरभाष क्रमांक: +91-7412-490966, 408900, E-mail: cs@dpjewellers.com; Website: www.dpjewellers.com

मुख्य बिंदु

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए (FY21-22 vs FY20-21)
आय में वृद्धि	42%
इ बी आई डी टी ए में वृद्धि	46%
पी ए टी में वृद्धि	47%

31.03.2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष एवं तिमाही के लिए वित्तीय परिणाम

(आंकड़े लाख में (प्रति अंश आय को छोड़कर)

	समेकित (अंकेक्षित)		
	समाप्त तिमाही के लिए		समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए
विवरण	31.03.2022 अंकेक्षित	31.03.2021 अंकेक्षित	31.03.2022 अंकेक्षित
व्यापार से कुल आय	43992.91	59024.54	173169.99
शुद्ध लाभ, (कर और असाधारण वस्तुओं से पहले)	1335.25	1100.06	5469.71
शुद्ध लाभ, (कर से पहले और असाधारण वस्तुओं के बाद)	1335.25	1100.06	5469.71
शुद्ध लाभ, (कर और असाधारण वस्तुओं के बाद)	964.89	827.85	4053.44
कुल व्यापक आय (कर एवं अन्य व्यापक आय के बाद)	1009.62	827.85	4098.17
सामान्य अंश पूंजी (प्रति अंश रुपया 10/-)	2225.49	2225.49	2225.49
संचय (पिछले वर्ष की अंकेक्षित तलपट के अनुसार पुनर्मूल्यांकित संचय को छोड़कर)	-	-	11580.62
प्रति अंश आय (जारी और बंद किए गए व्यापार के लिए)			
मूल: (समाप्त तिमाही के लिए, बिना वार्षिक किये)	4.34	3.72	18.21
मिश्रित: (समाप्त तिमाही के लिए, बिना वार्षिक किये)	4.34	3.72	18.21

टिप्पणियाँ: - • उपरोक्त वित्तीय परिणाम सेबी (सूचि निर्धारण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के तहत नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ दायर वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक भाग है। 31-03-2022 को समाप्त तिमाही एवं संपूर्ण वित्तीय वर्ष वित्तीय परिणाम NSE की वेबसाइट www.nseindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.dpjewellers.com पर उपलब्ध हैं। • मानक वित्तीय परिणामों की अतिरिक्त जानकारी निम्नानुसार है।

(आंकड़े लाख में)

विवरण	समाप्त तिमाही के लिए		समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए
	31-03-2022 अंकेक्षित	31-03-2021 अंकेक्षित	31-03-2022 अंकेक्षित
शुद्ध बिक्री / संचालन से आय	43966.46	59,017.87	173137.99
लाभ, (कर से पहले)	1318.8	1,106.08	5460.37
लाभ, (कर के बाद)	947.88	833.87	4043.54

दिनांक: मई 24, 2022
स्थान: रतलाम

डी. पी. आभूषण लिमिटेड
-एसडी -
अनिल कटारिया, पूर्णकालिक निर्देशक
DIN - 00092730